

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर, झाँसी ।

दिनांक- १०. १०. २०२२

अन्तरिम जमानत आवेदन प्रार्थी/ अभियुक्त शिवम तनय हरीशंकर सिंह की ओर से दाण्डिक परिवाद सं०- १७७/ २०२१, श्रीमती रूपाली बनाम शिवम सिंह आदि, अन्तर्गत धारा- ४९८ए, ३२३ भा०द०सं० एवं ४ दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- मऊरानीपुर, जिला- झाँसी के मामले में पेश हुआ जिसमें अभियुक्त आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध है।

अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसने उक्त धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं किया है, उसने परिवादिया से दहेज की माँग नहीं की न दहेज के लिए प्रताड़ित किया न ही मारपीट की, प्रकरण वैवाहिक सम्बंधों से सम्बंधित है, इसलिए मीडिएशन कराया जाना आवश्यक है, उक्त आधार पर प्रार्थी/ अभियुक्त को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाने की प्रार्थना की गयी

सुना एवं अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के सम्यक अवलोकन से विदित है कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया परिवादिया से दहेज की माँग करने, दहेज की माँग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करने एवं मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। हस्तगत प्रकरण वैवाहिक सम्बंधों से सम्बंधित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सोशल एक्शन फॉर्म मानवाधिकार व एक अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन (क्रिमनल) सं०- १५६/ १७ के मामले में पारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियुक्त तथा पीडिता के मध्य वैवाहिक सम्बंधों के समाशोधन हेतु गठित समिति/ मध्यस्थता केन्द्र से मध्यस्थता आख्या हेतु सन्दर्भित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार उक्त अभियुक्त के नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई तक के लिए उसे अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। नियमित जमानत आवेदन की सुनवाई से पूर्व अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास थाने से मंगाया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/ अभियुक्त शिवम तनय हरीशंकर सिंह की ओर से मु० बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व उसी समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर सशर्त अन्तरिम जमानत पर दिनांक- ०५. ११. २०२२ तक के लिए रिहा किया जाता है।

मीडिएशन/ सुलह समझौता केन्द्र जनपद न्यायालय झाँसी में मीडिएशन की कार्यवाही हेतु दिनांक- २७. १०. २०२२ नियत की जाती है। वादिया/ पीडिता को मीडिएशन कार्यवाही हेतु वाद लिपिक अविलम्ब नोटिस प्रेषित करें। उभय- पक्ष नियत तिथि पर मीडिएशन सेन्टर/ सुलह समझौता केन्द्र जनपद झाँसी में उपस्थित हों। नियमित जमानत आवेदन वास्ते सुनवाई दिनांक- ०५. ११. २०२२ को पेश हो, तब तक अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास थाना हाजा से मंगाया जाए।

(अभिनव यादव- द्वितीय)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर,
झाँसी ।

J. O. Code No. - UP03297